तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	133/प्र.पत्र/25 तमन्ना/योगेशकुमार जैन	
19/5/25	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र स्थगन पर आदेश हेतु पेश हुई है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण का कथन रहा कि नामान्तरकरण सं. 3135 दिनांक 03.08.2024 वाके ग्राम देवपुरा के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में विचाराधीन है। कृषि भूमि खसरा सं. 687 रकबा 0.5152 हैक्टेयर, खसरा सं. 698 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.6152 हैक्टेयर वाके ग्राम देवपुरा मे स्थित है, जो प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। खातेदार अप्रार्थी सं. 2 माधोलाल मानसिक रूप से बीमार है जो परिवार में लडाई झगडा करके विगत 3–4 वर्षो से ग्राम ठीकरदा में अपनी बहन के यहां निवास कर रहे है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता रामशंकर व चाचा सुनील का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की ओर से अपने हिस्से के बंटवारे व अधिकार घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में दिनांक 03.02.2021 को पेश कर दिया था, जो अभी लम्बित है तथा राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 03.11.2021 को स्थगन आदेश जारी हो गया था, जो आज तक प्रभावी है। इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर बिना किसी कारण व बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के उक्त भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं.1 को दिनांक 29.07.2024 को बेचान कर दिया है, किन्तु भूमि का कब्जा का अन्तरण नहीं हुआ था, प्रतिफल राशि का भी पूरा भुगतान नहीं हुआ थ। उक्त बेचान एवं क्रेता के नाम नामान्तकरण दर्ज हो जाने की जानकारी प्रार्थीगण के पिता को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई। अप्रार्थीगण एवं उसके प्रतिनिधि उक्त भूमि पर आकर प्रार्थीगण व उनके माता–पिता व परिवारजनों को बेदखल करने की आये दिन धमकी देते है। इस कारण प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को रहन बेचान व भारग्रस्त व अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण व उनके माता–पिता व चाचा को बेदखल कर भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में RRD 1995 पेज 120, RRD 1985 पेज 170 RRD 1996 पेज 368, RRD 1993 पेज 552 की नजीरें पेश की गई। जिला कलेक्टर, बून्दी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	133/प्रा.पत्र/25 तमन्ना V/S योगेश कुमार जैन	

वकील अप्रार्थी सं. 1, 2 द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपील विषयक आराजी खातेदार माधोलाल की पैतृक भूमि नहीं होकर माधोलाल की निजी सम्पत्ति है जिस पर रेस्पो.सं. 2 बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। खातेदार माधोलाल शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, उसमें कोई गलत आदतें नहीं है और न ही वह झगडा करता है। प्रार्थीगण के परिवारजनों ने मिलकर माधोलाल के साथ मारपीट की थी जिससे उसके गंभीर चोटें आयी, जिसकी रिपोर्ट माधोलाल ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। पत्नी व पुत्रों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने से माधोलाल असहाय हो गया, जो अब किराये के मकान में रहता है। माधोलाल द्वारा पारिवारिक आवश्यकता के लिए ऋण लिया था उसको चुकाने के लिये माधोलाल द्वारा अपने खाते की भूमि में से आधी भूमि की विक्रय राशि प्राप्त कर बेचान की जाकर कब्जा मौके पर क्रेताओं को संभला दिया था। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण बिना हक अधिकार के अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अपील में आवश्यक व पीडित पक्षकार नहीं होने से यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण को खातेदार माधोलाल एवं पिता रामशंकर के जीवनकाल में बंटवारे का दावा लाने व अपना हक घोषित कराने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व मण्डल अजमेर से एक तरफा स्टे हो चुका है, जिसकी जानकारी होते ही विपक्षीगण द्वारा उक्त आदेश निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। पुत्र–पुत्रियों, पौत्र–पौत्रियों को खातेदार पिता द्वारा अपने खाते की भूमि को बेचने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, इस कारण स्टे का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण को काबिज खातेदार के विरूद्ध कानूनन स्टे प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा RRD 2016 पेज 780, RLT 2021(2) पेज 851, AIR 1988 SC पेज 576, 2019 DNJ[SC] पेज 119, 2025(1) DNJ[Raj.] पेज 231, 2022(2) DNJ[SC] पेज 756, 2022(1) DNJ[SC] पेज 302, 2012 DNJ(2) [SC] पेज 611, 2025 DNJ[Raj.] पेज 449 की नजीरें पेश की गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

कलेक्टर, बू...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	133/प्रा.पत्र/24 तमन्ना v/s योगेश कुमार जैन	

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि नामान्तकरण सं. 3135 दिनांक 03.08.2024 वाकेग्राम देवपुरा के विरूद्ध अपील सं. 59/2024 बउनवान तमन्ना वगै. बनाम योगेश कुमार जैन वगै. इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त नामा0 से कृषि भूमि खसरा सं. 687 रकबा 0.5152 हैक्टेयर, खसरा सं. 698 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.6152 हैक्टेयर वाके ग्राम देवपुरा के 1/4 हिस्से पर क्रेता योगेश कुमार जैन का नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर खातेदार नहीं है और न ही वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के पिता रामशंकर जीवित है। वादग्रस्त आराजी में रामशंकर का हिस्सा भी निर्धारित नहीं है। रामशंकर के जीवनकाल मे उसकी संतानों को अपीलाधीन नामान्तकरण से पीड़ित नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण को उक्त आराजी पर बिना अधिकार घोषणा करवाये काबिज खातेदारान के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, ऐसे में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश सभी काश्तकारों पर प्रभावी है, उक्त स्थगन का नोट वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में अंकित है। ऐसी स्थिति में अपील विषयक आराजी पर राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश प्रभावी होने से इस न्यायालय द्वारा पृथक से स्थगन आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अपील की मूल पत्रावली आज अंतिम बहस में नियत होने से अपील के निस्तारण में आगे विलम्ब की संभावना नहीं है। चूंकि प्रकरण में जल्द सुनवाई की जाकर अपील अंतिम रूप से निर्णीत की जा रही है, ऐसी स्थिति में भी स्थगन आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने के लिए प्राइमापेसा केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रखी जावे।

जिला कलेक्टर, बून्दी